न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 28/25

दिनांक 19.09.2025

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री रमा बाई पत्नि पुत्र/पुत्री/पत्नि राधेलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटड़ापार पटवार मण्डल कोटड़ापार तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 39 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति रम्भाबाई पत्नि स्व. राध्या अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से रमा बाई पत्नि स्व. राधेलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी कोटड़ापार से करवाने पर पटवारी ने रम्भाबाई पत्नि स्व. राध्या के बजाय रमा बाई पत्नि स्व. राधेलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में रम्भाबाई पत्नि स्व. राध्या के बजाय रमा बाई पत्नि स्व. राधेलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम कोटड़ापार के खाता संख्या 39 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति रम्भाबाई पत्नि स्व. राध्या के स्थान पर सम्मानजनक रूप से रमा बाई पत्नि स्व. राधेलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)